न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2352–चार/2000 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30–10–2000– पारित व्दारा – आयुक्त,चम्बल संभाग,मुरैना – प्रकरण कमांक 2/1999–2000 निगरानी

रतन सिंह पुत्र बाबूसिंह जाटव
ग्राम नूरमपुरा तहसील गोहद
जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– फूल सिंह 2– चिन्टोले
3– अमर सिंह 4– शोभाराम
चारों पुत्रगण बोबदी काछी
ग्राम मघन तहसील गोहद
जिला भिण्ड , मध्य प्रदेश । ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

आ दे श

(दिनांक 20 जनवरी, 2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त,चम्बल संभाग,मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 2/1999–2000 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30–10–2000 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार गोहद के समक्ष आवेदन देकर मांग की कि ग्राम मघन स्थित भूमि सर्वे नंबर 11 रकबा 1.88 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर वह खेती करते

आ रहा है इसलिये उसके नाम व्यवस्थापित की जावे। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 51 अ-19/1994-95 पंजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 28.4.1995 से वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के नाम कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, गोहद के समक्ष अपील कमांक 3/98-99 प्रस्तुत हुई जो 20.7.99 से इस आधार पर निरस्त हुई कि म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत अपील का प्रावधान नहीं है। फलस्वरूप अनावेदकगण ने कलेक्टर भिण्ड के समक्ष निगरानी कमांक 23/1998-99 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 28-9-99 से स्वीकार की जाकर नायव तहसीलदार का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 28.4.95 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण कमांक 2/1999-2000 में पारित आदेश दिनांक 30-10-2000 से निगरानी ऑशतः स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को पुनः जांच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख के साथ आवेदक की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के हित में नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 28.495 से म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम

1984 के अंतर्गत किया है। नायव तहसीलदार के प्रकरण का कलेक्टर भिण्ड ने परीक्षण किया , तब यह तथ्य प्रकट हुआ है कि आवेदक का वादग्रस्त भूमि पर 2-10-1984 से कब्जा होना प्रमाणित नहीं है तथा आवेदक के कुटुम्ब में किन किन व्यक्तियों के पास कितनी कितनी भूमि है एंव आवेदक स्वयं् के नाम , पत्नि एंव पुत्र/पुत्रियों के नाम कितनी भूमि है नायव तहसीलदार ने व्यवस्थापन आदेश पारित करने के पूर्व जांच नहीं की है और यही तथ्य आयुक्त, चम्बल संभाग के समक्ष उजागर होने पर उन्होंने नायव तहसीलदार गोहद के भूमि व्यवस्थापन आदेश दिनांक 28-4-1995 को एंव इस आदेश को पूर्णतः निरस्त कर भूमि शासकीय दर्ज किये जाने वाले कलेक्टर भिण्ड के आदेश दिनांक 28-9-99 को निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः जॉच एंव सुनवाई हेतु तहसील न्यायालय को वापिस किया है। आवेदक के पास तहसील न्यायालय में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त है एंव जिन आधारों को एंव तथ्यों को इस न्यायालय में बताकर आवेदक अनुतोष पाना चाहता है आवेदक के पास वही तथ्य तहसीलदार के समक्ष रखने का उपचार प्राप्त है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदक को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित नहीं समझा गया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त,चम्बल संभाग,मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 2/1999-2000 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-10-2000 उचित पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर